प्रेस नोट-

थाना गरौठा, झाँसी

दिनाँक 13.09.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **24 घण्टे के भीतर हत्या के प्रयास के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बंका व चाकू बरामद,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 13.09.2025 को थाना गरौठा के मु0अ0सं0 152/25 धारा 109(1) BNS में वाँछित अभियुक्त शनि राइन उर्फ सन्नी पुत्र कय्यूम राइन उम्र करीब 31 वर्ष निवासी चौगड्डा मोहल्ला गाधीगंज कस्बा व थाना मऊरानीपुर, जनपद झाँसी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.09.2025 को वादी श्री बाबू राइन पुत्र रमजानी निवासी मुहल्ला इन्द्रा नगर, थाना गरौठा, झाँसी द्वारा थाना गरौठा पर लिखित प्रार्थना के माध्यम से अवगत कराया गया कि उसकी पुत्री व दामाद का मा0 न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। दिनांक 12.09.2025 अभियुक्त सन्नी उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री को जान से मारने की नियत से उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर उसके ऊपर बार-बार चाकू से हमला कर दिया और उसे मृत समझ कर वहाँ से भाग गया। उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना गरौठा पर मु0अ0सं0-152/2025 धारा 109(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा थाना गरौठा पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अभियुक्त शनि राइन उर्फ सन्नी को 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वादी श्री बाबू राइन की पुत्री मेडिकल कॉलेज झाँसी में उपचाराधीन है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- शनि राइन उर्फ सन्नी पुत्र कय्यूम राइन उम्र करीब 31 वर्ष निवासी चौगड्डा मोहल्ला गाधीगज कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झासी

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त बंका, चाकू व घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े (रक्त रंजित टीशर्ट व बनियान)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 248/2021 धारा 323, 498ए, 504, 506 भादवि व 3, 4 डी0पी0 एक्ट, थाना गरौठा
2. मु0अ0सं0 93/2022 धारा 504, 506 भादवि, थाना गरौठा
3. मु0अ0सं0 91/2023 धारा 504, 506, 509 भादवि, थाना गरौठा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही थाना गरौठा जनपद झाँसी
2. उ.नि. अश्वनी दीक्षित थाना गरौठा जनपद झाँसी
3. उ.नि. राजकुमार पटेल थाना गरौठा जनपद झाँसी
4. का.607 हरीश गौतम थाना गरौठा जनपद झाँसी